73

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल महोदय ग्वालियर (म.प्र.)

III/निग0/रीवा/भू-रा0/2017/2349

Rs.30/-

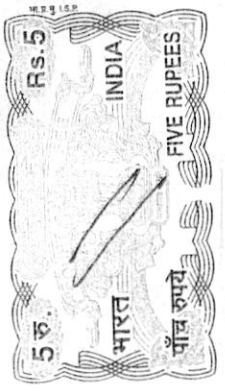

अखण्ड प्रताप सिहं तनय श्रीनागेश्वर सिहं ग्राम मझिगंवा तहसील सिरमौर जिला रीवा म0प्र0 ———— निगरानीकर्ता

बनाम

1 धर्मराज सिहं पिता राजमणि सिहं

2 शिवराज सिहं तनय श्री राम प्रताप सिहं

3 अवध प्रताप सिहं तनय श्री राम प्रताप सिहं

सभी निवासी ग्राम मझिगंवा तहसील सिरमौर जिला रीवा म0प्र0

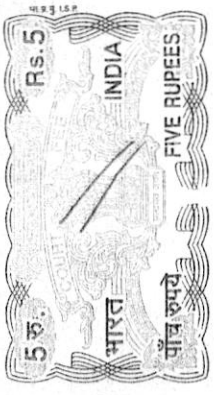

——रेस्पॉडेन्टगण

प्र0वा0 श्री भूपेन्द्र कु0 मिश्रा, द्वारा पेश। 25-7-17

क्लर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरुद्व आदेश अपर आयुक्त रीवा सम्भाग री म0 प्र0 रा0प्रकरण क्रमांक ए14 / अपील / 2016—17 आदेश दि0 2 / 5 / 17

निगरानी अर्न्तगत धारा— 50 म0प्र0 भू—राजस्व संहिता सन् 1959 ई0।

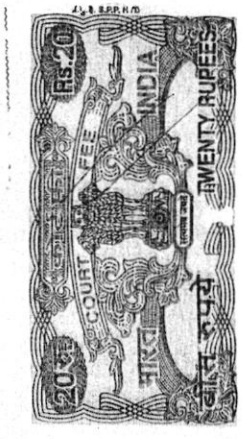

मान्यवर,

अपील के आधार निम्नलिखित है—:

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने के निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त महोदय द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य पर गौर नही किया गया कि जिस भूमि के सम्वन्ध में निर्णय पारित किया गया है उसमे अपीलान्टका पुस्तैनी माकान वना हुआ है तथा उसी मे पूरा परिवार निवास करता हैजिस तथ्य को अनावेदक धर्मराज सिंह ने अपने दावे के अनुलग्न अ में स्वयं स्वीकार किया है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य को ध्यान न देकर जो त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया है वह किसी भी स्थिति में स्थिर रखे जाने योग्य न होने से निरस्त किए जाने योग्य है।
3. यह कि भूमि खसरा क0 1150एव 1149 में जिसमे अपीलान्ट का लगभग 150 वर्ष पूर्व से मौखिक वटनवारे के आधार पर दोनो पक्षो के रजामन्दी अदला वदली हुई थी तथा उक्त अदला वदलीके भूमि न01150 में अपीलान्ट

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण कमांक III/निगरानी/17/2349 जिला–रीवा

पक्षकार का नाम अखण्ड प्रताप सिंह/ कप्तान सिंह

(1)	(2)	(3)
27.12.17	प्रकरण प्रस्तुत । 2–आवेदक तथा आवेदक अधिवक्ता की पुकार कराई गई किन्तु कोई उपस्थित नहीं। अतः संहिता की धारा 35 (2) के तहत प्रकरण आदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 3– आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे। सदस्य	